File No.11011/56/2023-Admn
National Commission for Protection of Child Rights
5th Floor, Chanderlok Building, 36-Janpath,
New Delhi-110001

21st May, 2024

Office Memorandum

Sub: Minutes of the 59th Statutory Meeting of the Commission held on 20.05.2024 (Monday) at 3:00 p.m. in the Conference Room (5th Floor) of NCPCR – regarding.

Kindly find enclosed herewith a copy of the minutes of the 59th Statutory Meeting of the Commission held on 20th May, 2024 duly approved by the Chairperson, NCPCR, for information and necessary action.

(Rupali Banerjee Singh)
Member Secretary

Encl./As Above:

To

1. The Chairperson
2. Dr. Divya Gupta, Member
3. Ms. Preeti Bharadwaj Dalal, Member
4. Principal Research & Technical Expert (Education)
5. Sr. Professional (JJ & LRC)
6. STE (Child Health/ Child Psychology)
7. STE (NE /J&K and Ladakh Cell/ Education)
8. CL (Legal)/CL (Prog.)
9. PPS to Member Secretary
10. Minutes Register/Guard File.

Minutes of the 59th Statutory Meeting of the Commission held on 20th May, 2024 at 3.00 p.m. in the Conference Room (5th Floor) of NCPCR, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi.

The present strength of the Commission is as follows:

1. Shri Priyank Kanoongo, Chairperson
2. Dr. Divya Gupta, Member
3. Ms. Preeti Bharadwaj Dalal, Member
4. Ms. Rupali Banerjee Singh, Member Secretary

The 59th Statutory Meeting of the Commission was held on 20.05.2024 at 3:00 p.m in the Conference Room (5th Floor) of NCPCR, New Delhi. The following were present:

1. Shri Priyank Kanoongo, Chairperson
2. Dr. Divya Gupta, Member
3. Ms. Preeti Bharadwaj Dalal, Member
4. Ms. Rupali Banerjee Singh, Member Secretary

The meeting commenced with a welcome note and brief introductory remarks by the Chairperson.

Confirmation of Minutes of the 58th Statutory Meeting of the Commission held on 29.02.2024:
The Chairperson informed that the Minutes of the 58th Statutory Meeting of the Commission were treated as confirmed as no comments were received.

AGENDA ITEMS:

There was no formal Agenda for consideration in the Statutory Meeting of the Commission held on 20.05.2024. However, the following Reports / Guidelines and List of Portals developed by NCPCR were placed before the Commission for its information and ratification:

I. **CHILD PSYCHOLOGY DIVISION:**

Agenda Item No.1: Research Study on "Validation and Standardization of Indicators/Markers of Penetrative CSA in Children's Draw-A-Person-Test (DAPT)"-The "Draw a Person" test, also known as the Human Figure Drawing Test, is a projective psychological assessment tool used to gain insights into an individual's personality, emotions, and cognitive functioning. Keeping the Commission's mandate in focus, NCPCR has commissioned this research study with Department

NCPCR
GOVT. OF INDIA

of Psychiatry, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi to understand the graphic indicators associated with the drawings of children as an effort to establish commonalities and differences in obtaining sexual abuse indicators across children with and without sexual abuse.

The validity and reliability of the draw a person test was measured based on the signs used by clinicians to identify sexual abuse. So, to assess the reliability and validity a sample of 300 students (100 CSA and 200 non-CSA) from children care institutions in Delhi, Gurgaon, Alwar, and Rewari was collected, excluding those with intellectual disabilities or chronic illnesses were involved in the study. The Assessment tools used by the clinicians included the Draw-a-person Test (DAPT), MSCSA-62, CPSS, and CITES-13.

The report is also available on NCPCR's website at:
https://ncpcr.gov.in/uploads/171163099866056a96477d9_reserach-study-on-validation-and-standardization-of-indicators-of-csa-in-childrens-dapt.pdf

Decision: The Report was placed before the Commission for its information and ratification. The same was noted and ratified by the Commission.

Agenda Item No.2: Report of Book of Abstracts of 8th Asian Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Congress organized by Indian Association of CBT, Department of Psychiatry, AIIMS in collaboration with NCPCR- All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi supported by NCPCR has organized 8th Asian Trauma Conclave under the theme of "Cognitive Behavioural Therapies (CBT) across Illness & Health: Advances, Challenges & Way Forward" with special focus on Women and Child Wellbeing from 28th February to 2nd March, 2024.

Aims and Objectives -

(i) The aim is to provide a common platform to all the stakeholders to participate in a comprehensive synthesis of research, service provision, and clinical practice in the field of Trauma Psychology in Asian countries.

(ii) Provide a platform to Researchers, Clinicians, Academicians, Healthcare Service Providers, Non Government and Government agencies, Child care organisations and students to share their experiences in psychological trauma affected children/adolescents.

(iii) Provide an opportunity to develop networking and professional association for bi/multi lateral research/training and collaboration.

Decision: The Report was placed before the Commission for its information and ratification. The same was noted and ratified by the Commission.

II. EDUCATION DIVISION:

Agenda Item No.3: Guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools by NCPCR:- The Commission has been actively working to ensure the safety of children in both physical and digital environments. In line with this objective, the Commission has developed "Preventing Bullying and Cyber bullying: Guidelines for Schools." These guidelines aim to serve as a comprehensive resource for schools, enabling them to prevent, prohibit, and address incidents of bullying that occur within their premises or online spaces frequented by children. The link of the said guidelines is given at:

https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf

Decision: The Guidelines were placed before the Commission for its information and ratification. The same were noted and ratified by the Commission.

III. LEGAL CELL / JJ & LRC DIVISION:

Agenda Item No.4: Guidelines for conducting preliminary assessment under section 15 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015- Guidelines for conducting preliminary assessment under section 15 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015:

The Hon'ble Supreme Court vide its judgement dated 13.07.2022 in Barun Chandra Thakur vs. Master Bholu & Anr. Crl. Appeal No. 950/2022 directed NCPCR to formulate the guidelines for the procedure to be adopted by the authorities while conducting the preliminary assessment under section 15 the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. In compliance of the directions, NCPCR has developed the guidelines describing the key procedure that will enable the Juvenile Justice Boards (JJBs) to conduct the preliminary assessment in consonance with the guiding principles and other provisions of the JJ Act, 2015. The link of the said guidelines is given at:

https://ncpcr.gov.in/uploads/16813797786437d1c2bea2a_guidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf

Decision: The Guidelines were placed before the Commission for its information and ratification. The same were noted and ratified by the Commission.

Agenda Item No.5: Model Guidelines with respect to Support Persons under section 39 of POCSO Act -The Hon'ble Supreme Court in the case titled "We the Women of India vs. Union of India & Ors. Writ Petition(s) (Civil) No(s) 1156/2021 and in Writ Petition No.427 of 2022 titled Bachpan Bachao Andolan vs. Union of India" has passed an order dated 09.10.2023 wherein the Hon'ble Court has directed the NCPCR to formulate Model Guidelines with respect to Support Persons under Section 39 of the POCSO Act, 2012. In compliance of the directions, NCPCR has formulated the guidelines to include the essential components and basic mechanism involved for engaging of a support person as mandated under Section 39 of the POCSO Act, 2012 and to address the ambiguity in understanding of the process and steps to be followed for engaging the same.

Decision: ***The Guidelines were placed before the Commission for its information and ratification. The same were noted and ratified by the Commission.***

Agenda Item No.6: List of Portals developed by NCPCR - The following Portals have been developed by the Commission:

(1) MASI- Monitoring App for Seamless Inspection
(2) Baal Swaraj Portal- Covid Care
(3) Baal Swaraj Portal- CISS
(4) Baal Swaraj Portal- Citizen Login (Portal)
(5) Tracking Portal for out of School Children
(6) POCSO Tracking Portal
(7) NCPCR's Management Information System (MIS) Portal
(8) GHAR (Go Home and Reunite) Portal along with its details.

Decision: ***The List of Portals developed by NCPCR was placed before the Commission for its information and the same was noted by the Commission.***

Agenda Item No.7: Online Portal for reintegration and rehabilitation of children in conflict with the law (CCLs) - In order to facilitate the reintegration and rehabilitation of children in conflict with the law (CCLs) into mainstream society, with a focus on addressing their educational, vocational, psychological, and legal needs, an online portal dedicated to ensuring their proper rehabilitation and reformation is being developed in the Commission.

Decision: ***The proposal was placed before the Commission for its ratification and the same was ratified by the Commission.***

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

....

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS NCPCR GOVT. OF INDIA NEW DELHI

फा.सं. 11011/56/2023-प्रशा.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 21.05.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 20.05.2024 (सोमवार) को रा.बा.अधि.सं. आयोग के पंचम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में अपराह्न 3 बजे आयोजित आयोग की 59वीं सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त।

कृपया अध्यक्ष महोदय, एनसीपीसीआर द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, दिनांक 20.05.2024 को आयोजित रा.बा.अधि.सं. आयोग की 59वीं सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

रूपाली बनर्जी सिंह
(रूपाली बनर्जी सिंह)
सदस्य सचिव

संलग्न/उपर्युक्त:
सेवा में,

1. अध्यक्ष महोदय
2. डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य
3. श्रीमती प्रीति भारद्वाज दलाल, सदस्य
4. प्रधान अनुसंधान एवं तकनीकी विशेषज्ञ(शिक्षा)
5. वरिष्ठ प्रोफेशनल(जेजे एवं एलआरसी)
6. वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(बाल स्वास्थ्य/बाल मनोविज्ञान)
7. वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ (एनई, जे एंड के तथा लद्दाख प्रकोष्ठ/शिक्षा)
8. परामर्शदाता(विधि)/परामर्शदाता(कार्यक्रम)
9. सदस्य सचिव के प्रधान निजी सचिव
10. कार्यवृत्त रजिस्ट्रार/गार्ड फाइल

दिनांक 20 मई, 2024 को रा.बा.अधि.सं.आ., चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली के पंचम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में अपराह्न 3 बजे आयोजित आयोग की 59 वीं सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग का वर्तमान संख्याबल इस प्रकार है:

1. श्री प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष
2. डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य
3. श्रीमती प्रीति भारद्वाज दलाल, सदस्य
4. श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह, सदस्य सचिव

आयोग की 59वीं सांविधिक बैठक दिनांक 20.05.2024 को अपराह्न 3:00 बजे रा.बा.अधि.सं.आ., नई दिल्ली के पंचम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

1. श्री प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष
2. डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य
3. श्रीमती प्रीति भारद्वाज दलाल, सदस्य
4. श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह, सदस्य सचिव

बैठक का आरंभ अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत टिप्पणी और संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी के साथ हुआ।

दिनांक 29.02.2024 को आयोजित आयोग की 58वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आयोग की 58 वीं सांविधिक बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी जाए क्योंकि किसी से भी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

<u>कार्यसूची मदें:</u>

दिनांक 20.05.2024 को आयोजित आयोग की सांविधिक बैठक में विचारार्थ कोई औपचारिक कार्य सूची नहीं थी। हालांकि आयोग की सांविधिक बैठक में एनसीपीसीआर द्वारा विकसित निम्नलिखित रिपोर्टों/दिशा-निर्देशों एवं पोर्टलों की सूची विचारार्थ एवं संशोधनार्थ हेतु की गई।

1. <u>बाल मनोविज्ञान प्रभाग:</u>

कार्यसूची मद सं.1

बच्चों के ड्रा ए पर्सन टेस्ट (डीएपीटी) में पेनेट्रेटिव सीएसए के संकेतकों/मार्करों के सत्यापन और मानकीकरण पर शोध अध्ययन- 'ड्रा ए पर्सन परीक्षण' जिसे मानवाकृति ड्राइंग टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रोजेक्टिव मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावनाओं और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आयोग के जनादेश को ध्यान में रखते हुए, एनसीपीसीआर ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान (एम्स), नई दिल्ली के मनोविज्ञान विभाग के साथ इस शोध अध्ययन को शुरू किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों से जुड़े ग्राफिक संकेतकों को समझना है ताकि यौन शोषण वाले और बिना यौन शोषण वाले बच्चों के बीच यौन शोषण संकेतक प्राप्त करने में समानताएं और अंतर स्थापित किए जा सकें।

यौन शोषण की पहचान करने के लिए चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किए गए संकेतों के आधार पर ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट की वैधता और विश्वसनीयता मापी गई। विश्वसनीयता और वैधता का आकलन करने के लिए दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और रेवाड़ी के बाल देखभाल संस्थानों से 300 छात्रों (100 सीएसए और 200 गैर-सीएसए) के नमूने एकत्र किया गया जिसमें बौद्धिक अक्षमता या पुरानी बीमारियों वाले छात्रों को शामिल नहीं किया गया। चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरणों में ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट (डीएपीटी) एमएससीएसए-62, सीपीएसएस और सीआईटीईएस-13 शामिल थे।

एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर भी रिपोर्ट उपलब्ध है:
<u>https://ncpcr.gov.in/uploads/171163099866056a96477d9_reserach-study-onvalidation-and-standardization-of-indicators-of-csa-in-childrens-dapt.pdf</u>

निर्णय: रिपोर्ट आयोग के समक्ष सूचनार्थ एवं संशोधनार्थ रखी गई। संबंधित को नोट किया गया और संशोधन किए गए।

कार्यसूची मद सं. 2 एनसीपीसीआर के सहयोग से एम्स के मनोविज्ञान विभाग के भारतीय सीबीटी संघ द्वारा आयोजित 8 वें एशियाई संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) की सार पुस्तिका की रिपोर्ट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली ने एनसीपीसीआर के सहयोग से 28 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक महिला एवं बाल कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'रोग एवं

स्वास्थ्य में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) प्रगति चुनौतियां और आगे का रास्ता' विषय के तहत 8 वें एशियाई ट्रॉमा सम्मेलन का आयोजन किया है ।

<u>लक्ष्य एवं उद्देश्य:</u>

i इसका उद्देश्य एशियाई देशों में ट्रॉमा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान सेवा प्रावधान और नैदानिक अभ्यास के व्यापक संश्लेषण में भाग लेने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करना है।

ii शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों, बाल देखभाल संगठनों और छात्रों को मनोवैज्ञानिक आघात से प्रभावित बच्चों/किशोरों के संबंध में अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

iii द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अनुसंधान/प्रशिक्षण और सहयोग के लिए नेटवर्किंग और व्यावसायिक सहयोग विकसित करने का अवसर प्रदान करना।

निर्णय: रिपोर्ट को आयोग के समक्ष सूचना एवं अनुमोदन के लिए रखा गया। आयोग ने इसे नोट किया और अनुमोदित किया।

II शिक्षा प्रभाग:

कार्यसूची मद संख्या 3: एनसीपीसीआर द्वारा स्कूलों में बदमाशी(बुलिंग) और साइबर बदमाशी(बुलिंग) की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश: आयोग भौतिक और डिजिटल दोनों ही वातावरण में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य के अनुरूप, आयोग ने बुलिंग और साइबर बुलिंग की रोकथाम के लिए स्कूलों हेतु दिशा-निर्देश विकसित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य स्कूलों के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में काम करना है जिससे वे अपने परिसर या बच्चों द्वारा अक्सर देखी जाने वाली ऑनलाइन जगहों पर होने वाली बदमाशी की घटनाओं को रोकने, प्रतिबंधित करने और उनका निवारण करने में सक्षम हो सकें। उक्त दिशा-निर्देशों का लिंक यहाँ दिया गया है

<u>https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-school-2024.pdf</u>

निर्णय: दिशा- निर्देशों को आयोग के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुसमर्थनार्थ रखा गया। आयोग ने इन्हें नोट करते हुए अनुसमर्थित किया।

III विधि प्रकोष्ठ /जेजे एवं एलआरसी प्रभाग:

कार्यसूची मद संख्या 4 : किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश : किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरुन चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू एवं अन्य अपील संख्या 950/2022 में दिनांक 13.07.2022 के अपने निर्णय के माध्यम से एनसीपीसीआर को किशोर न्याय(बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। निर्देशों के अनुपालन में, एनसीपीसीआर ने प्रमुख प्रक्रिया का वर्णन करते हुए दिशानिर्देश विकसित किए हैं जो किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को जेजे अधिनियम, 2015 के मार्गदर्शी सिद्धांतों और अन्य प्रावधानों के अनुरूप प्रारंभिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा। उक्त दिशानिर्देशों का लिंक यहां दिया गया है:

https://ncpcr.gov.in/uploads/16813797786437d1c2bea2aguidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf

निर्णय: दिशा-निर्देशों को आयोग के समक्ष उसकी जानकारी और अनुसमर्थन हेतु रखा गया। आयोग ने इन्हें नोट किया और अनुसमर्थन किया।

कार्यसूची मद संख्या 5: पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में मॉडल दिशानिर्देश: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "हम भारत की महिलाएं बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका(एं) सिविल संख्या(एं) 1156/2021 और वर्ष 2022 की रिट याचिका संख्या 427 जिसका शीर्षक "बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ" मामले में 09.10.2023 को एक आदेश पारित किया है जिसमें माननीय न्यायालय ने एनसीपीसीआर को पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में मॉडल दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्देशों के अनुपालन में, एनसीपीसीआर ने पॉक्सो अधिनियम

2012 की धारा 39 के तहत अनिवार्य सहायक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आवश्यक घटकों और बुनियादी तंत्र को शामिल करने और प्रक्रिया की अस्पष्टता को दूर करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

निर्णय: दिशा- निर्देशों को आयोग के समक्ष जानकारी एवं अनुसमर्थन हेतु रखा गया। आयोग ने इन्हें नोट किया और अनुसमर्थित किया।

कार्यसूची मद संख्या 6: एनसीपीसीआर द्वारा विकसित पोर्टलों की सूची- आयोग द्वारा निम्नलिखित पोर्टल विकसित किए गए हैं:

(1) मासी- निर्बाध निरीक्षण हेतु निगरानी ऐप्प
(2) बाल स्वराज पोर्टल-कोविड केयर
(3) बाल स्वराज पोर्टल- सीआईएसएस
(4) बाल स्वराज पोर्टल- नागरिक लॉगिन (पोर्टल)
(5) स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए ट्रैकिंग पोर्टल
(6) पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल
(7) एनसीपीसीआर की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल
(8) घर (घर जाओ और पुन: मिलो) पोर्टल और उसका विवरण।

निर्णय: एनसीपीसीआर द्वारा विकसित पोर्टलों की सूची सदस्यों के समक्ष सूचनार्थ रखी गई और सदस्यों ने उन पर विचार किया।

कार्यसूची मद संख्या 7: कानून से संघर्षरत बच्चों (सीसीएल) के पुनः एकीकरण और पुनर्वास के लिए ऑनलाइन पोर्टल: आयोग द्वारा कानून से संघर्षरत बच्चों (सीसीएल) को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने , उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ उनके उचित पुनर्वास और सुधार को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

निर्णय: प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ आयोग के समक्ष रखा गया तथा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।